The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 5 | May 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

# घरेलू महिला श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा कानून: एक अध्ययन

डॉ. सुरेश कुमार
पूर्व शोधार्थी
एम. ए. (समाजशास्त्र), यू.जी.सी. नेट, पी–एच.डी.
विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

**ARTICLE DETAILS**

**Research Paper**

**Keywords:**
*असंगठित क्षेत्र, घरेलू कार्य, अकुशल श्रमिक, घरेलू श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन कानून*

**ABSTRACT**

हाल के वर्षों में देश में घरेलू सेवा कार्य असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बनकर उभरा है। भारत सरकार द्वारा गठित द्वितीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रमबल का सबसे बड़ा हिस्सा महिला श्रमिकों का है। देश में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं को दो स्तरों पर समझा जा सकता है। प्रथम इन्हें महिला होने के नाते कार्यस्थल पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे लैंगिक भेदभाव ,कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न आदि। दूसरी ओर घरेलू श्रमिकों की अपनी पेशागत समस्या है ,जैसे कार्यस्थल पर सामाजिक भेदभाव, नियोक्ता द्वारा आर्थिक शोषण, निम्न कार्यदशा, शारीरिक प्रताड़ना आदि। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के घरेलू श्रमिकों के संरक्षण तथा उन्हें शोषण के बचाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून 1948,बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि। परंतु ये कानून घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं के पूर्ण समाधान में विफल रहे हैं। प्रस्तुत आलेख में वर्तमान श्रम कानूनों की उपादेयता पर विचार किया गया है। अंत में घरेलू महिला श्रमिकों की जीवनदशा और कार्यदशा में सुधार हेतु किए जाने वाले वैधानिक उपायों को सुझाया गया है।

भूमिका :

देश में कार्यरत महिला श्रमिकों का श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें से अधिकांश घरेलू श्रमिक के रूप में काम करती हैं। घरेलू श्रमिक वे श्रमिक हैं जो नियोक्ता के घरों में पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से घरेलू सेवाएं प्रदान करते हैं तथा बदले में नियोक्ता से धन या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक एक निश्चित अवधि में प्राप्त करता है।

देश में घरेलू श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक मूवमेंट के अनुसार वर्तमान में देश में घरेलू श्रमिकों की संख्या 40 लाख से 5 करोड़ के बीच हो सकती है।

कार्यावधि के आधार पर घरेलू महिला श्रमिकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है : पूर्णकालिक घरेलू श्रमिक और अंशकालिक घरेलू श्रमिक। पूर्णकालिक श्रमिक प्रायः किसी एक ही नियोक्ता को घरेलू सेवा प्रदान करते हैं तथा नियोक्ता के आवासीय परिसर में ही निवास करते हैं। अंशकालिक घरेलू महिला श्रमिक प्रतिदिन एक से अधिक नियोक्ताओं को निश्चित समय के लिए घरेलू सेवा प्रदान करते हैं और कार्य समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन अपने घर वापस लौट जाते हैं।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

दुर्गा देवी, एस. (2020) ने शोध अध्ययन "प्लाईट ऑफ वूमेन डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया" में भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन किया है। साथ ही इनके हितों के संरक्षण और कल्याण के लिए बने सामाजिक सुरक्षा कानूनों की पड़ताल की है। वे कहती हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने वाला कानून 2013 ई. में बना है। कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों का यौन उत्पीड़न की बात भी पता चली है, किंतु नौकरी से निकाले जाने के भय से वे नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाती हैं। इसी प्रकार देश के कई राज्यों यथा बिहार, महाराष्ट्र आदि में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है परंतु इसका सख्ती से अनुपालन नहीं हो रहा है।

नीता, एन. (2019) ने अपने शोध अध्ययन "वर्किंग एट अदर्स होम" में बताया है कि घरेलू सेवा क्षेत्र के वैधानिक रूप से कार्यस्थल के रूप में मान्यता नहीं होने से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू कई श्रम अधिनियम घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने घरेलू श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए 2017 ई. में एक नीतिगत मसौदा तैयार किया है, परंतु यह अबतक कानूनी रूप नहीं ले पाया है।

लाहिड़ी, तृप्ति (2017) ने अपने शोध अध्ययन में दिल्ली महानगर में कार्यरत पूर्णकालिक घरेलू महिला श्रमिकों की दयनीय दशा का अध्ययन किया है। ये घरेलू महिला श्रमिक देश के दूर दराज के क्षेत्रों बिहार, झारखंड,बंगाल, असम आदि प्रांतों से काम की तलाश में दिल्ली महानगर आती हैं, परंतु यहां उन्हें अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नियोक्ता द्वारा आर्थिक शोषण, काम के लंबे घंटे, मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, पगार नहीं देना आदि इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। परदेश में होने तथा अशिक्षा के कारण वे कानूनी मदद नहीं ले पाती है।

औगस्तीन और सिंह (2016) ने लखनऊ सिटी में महिला घरेलू श्रमिकों की समस्या और इनकी कार्यदशा का अध्ययन किया है। साथ ही इनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि इनमें सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। सरकार द्वारा चलाए जानेवाले विभिन्न योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के प्रति ये अनभिज्ञ रहती हैं।

शंकरन (2013) ने शोधपत्र डोमेस्टिक वर्क,अनपेड वर्क एंड वेज रेट्स में घरेलू महिला श्रमिकों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा कानूनों को नवीन दृष्टिकोण से देखा है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा घरेलू सेवा क्षेत्र को न्यूनतम मजदूरी कानूनों के दायरे में लाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। असल समस्या यह है कि घर के सदस्यों द्वारा दी जानेवाले घरेलू सेवा का मौद्रिक मूल्य कभी नहीं आंका गया है। यह तुच्छ और मुफ्त ही समझा जाता रहा है। इसका प्रभाव घरेलू महिला श्रमिकों के वेतन निर्धारण पर पड़ा। ये भी वही काम करती हैं जो परिवार की महिला सदस्य करती रही हैं। फलतः इनके काम को भी अधिक महत्व नहीं देते हुए कम वेतन पाने के योग्य ही समझा गया।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र बिहार का दरभंगा नगर है। दरभंगा नगर 16 वीं शताब्दी में राज दरभंगा की राजधानी थी। यह मिथिला संस्कृति की केंद्रबिंदु रहा है। वर्तमान में यह दरभंगा जिला और दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है। दरभंगा शहर को नगर का दर्जा 1961 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसे नगर निगम का दर्जा 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में दरभंगा नगर निगम में 48 प्रशासनिक वार्ड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दरभंगा नगर की कुल जनसंख्या 2,96,039 थी जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 1,55,637 और स्त्री की जनसंख्या 1,40,402 थी। दरभंगा जिला में नारी साक्षरता दर 36. 81 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय नारी साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत से काफी कम है।

शोध समस्या का उद्देश्य :

घरेलू महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर मिलने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

वर्तमान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा कानूनों की उपादेयता की पड़ताल करना।

सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति घरेलू महिला श्रमिकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं की समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

समस्या का विवरणः

घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं बहुपक्षीय है जिसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पक्ष हैं।

घरेलू महिला श्रमिक आर्थिक रूप से निम्न आय वर्ग से आती हैं । ये अपनी गरीबी, अशिक्षा और कौशल के अभाव के कारण घरेलू श्रमिक का पेशा को अपनाने के लिए बाध्य होती हैं। परंतु इन्हें कार्य स्थल पर आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इनके कार्य के घंटे लंबे परंतु वेतन कम मिलता है। यह वेतन भी उन्हें ससमय प्राप्त नहीं होता है। ओवरटाइम काम के लिए इन्हें प्रायः कोई नगद भुगतान नहीं किया जाता है। कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। उन्हें सवैतानिक साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश आदि प्राप्त नहीं होता है। वेतन से इनके घर का खर्च नहीं चल सकता है। घरेलू महिला का जीवन गरीबी और आर्थिक शोषण की त्रासदी बनकर रह जाता है।

घरेलू महिला श्रमिकों के काम के घंटे लंबे परंतु वेतन बहुत कम मिलता है। उन्हें प्रायः वेतन वृद्धि, भत्ते और बोनस का लाभ नहीं मिलता है। नियोक्ता इनका आर्थिक शोषण करते हैं (तिवारी, 2018)।

अधिकांश घरेलू महिला श्रमिक की आर्थिक दशा दयनीय होती है। इनका परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। घरेलू महिला श्रमिक की सारी कमाई परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप परिवार की आकस्मिक जरूरत की पूर्ति के लिए बचत नहीं हो पाता है। आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इन्हें सूद पर ऋण लेना पड़ता है (मेहता, 2012)।

घरेलू महिला श्रमिकों को कार्य स्थल पर सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर देखने को मिलता है। कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों को मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। इस

दुर्व्यवहार के अंतर्गत गाली गलौज,जाति सूचक टिप्पणी, मारपीट, मानसिक और यौन शोषण की घटनाएं आती हैं (लाहिड़ी तृप्ति, 2017)।

घरेलू महिला श्रमिकों की एक अन्य प्रमुख समस्या इनका अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित होना है। ये अकुशल श्रमिक होते हैं। इस कारण वे जीवन यापन के लिए किसी अन्य पेशे का चुनाव नहीं कर सकती हैं। (अरुल, 2017)। अशिक्षा के कारण वे सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रति अनभिज्ञ रहती है तथा उनमें विद्यमान वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कानून के प्रति जागरूकता का अभाव होता है (अगस्टिन और सिंह 2016)।

घरेलू श्रमिकों के लिए अब तक किसी विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कानून का अभाव रहा है। घरेलू सेवा क्षेत्र को कार्य स्थल के रूप में वैधानिक दर्जा नहीं मिलने से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बने कई श्रम कानून इन पर लागू नहीं होते हैं (नीता एन., 2019)।

आंकड़ों के स्रोत :

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। यह द्वितीयक आंकड़े पूर्व शोध अध्ययनों, सरकारी गजट, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्टों, विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित शोध आलेखों, सरकारी विभागों द्वारा जारी आंकड़ों तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों आदि से लिए गए हैं।

परिचर्चा और विश्लेषण :

घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू सेवा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1959 में घरेलू श्रमिक नियोजन विधेयक ,1959 संसद में लाया गया था, परंतु यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका। वर्ष 2009 में भी एक निजी विधेयक घरेलू श्रमिक (सेवा शर्त) विधेयक, 2009 संसद में पेश किया गया था , परंतु यह विधेयक भी संसद से पारित होकर कानूनी रूप नहीं ले पाया। वर्तमान में देश में घरेलू सेवा क्षेत्र को विनियमित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ राज्य सरकारों द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाए गए हैं। परंतु ऐसे प्रयास कुछ राज्यों तक ही सीमित रहे हैं।

विगत कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए पूर्व कानून को संशोधित कर घरेलू महिला श्रमिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये प्रमुख कानून हैं :

न्यूनतम मजदूरी कानून,1948 : देश के कई राज्य सरकारों ने इस कानून के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों को भी शामिल कर लिया है। अबतक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, ओडिसा, झारखंड, राजस्थान समेत देश के 11 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों ने घरेलू सेवा क्षेत्र को भी न्यूनतम मजदूरी कानून की अनुसूची में शामिल कर लिया है। इस कानून के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी की दर तय कर दी गई है।

बाल श्रम ( प्रतिषेध और नियंत्रण ) अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित 2006) : इसके अधीन वर्ष 2006 से घरेलू सेवा क्षेत्र में बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। इसके द्वारा घरेलू श्रमिकों के कल्याण और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई आवश्यक प्रावधान किए गए हैं , जैसे घरेलू श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन, आदि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसी अधिनियम का महत्वपूर्ण घटक है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निवारण और प्रतिषेध) अधिनियम,2013 इस कानून के द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं घरेलू श्रमिकों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

घरेलू श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ,2010 : इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू श्रमिक के रूप में काम करने वाले बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाना है। यह प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा बच्चों और महिलाओं के कार्यस्थल पर शोषण और अवैध व्यापार पर रोक लगाता है। इसमें प्लेसमेंट एजेंसी के लिए कड़े प्रतिबंधों और विनियमों के प्रावधान किए गए हैं।

कुमार, एस.(2023) ने दरभंगा नगर की घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं पर अध्ययन किया है। अध्ययन का उद्देश्य की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु 240 प्रतिदर्श का चुनाव दरभंगा नगर के सभी वार्डों से सुविधाजनक निदर्शन के द्वारा किया गया है। अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

घरेलू महिला श्रमिकों का शैक्षणिक स्तर : अध्ययन में शामिल सर्वाधिक 47.91 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों ने केवल प्रारंभिक शिक्षा पाई है। वहीं 25.84 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिक अनपढ़ हैं। 24.16 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों ने माध्यमिक शिक्षा पाई है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त घरेलू महिला श्रमिक केवल 2.09 है। स्नातक या उससे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त घरेलू महिला श्रमिक की संख्या शून्य है। स्पष्ट है कि अधिकांश घरेलू महिला श्रमिक अनपढ़ अथवा अल्प शिक्षित हैं।

सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता : शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन में पाया है कि केवल 7 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के बारे में जानकारी है, जबकि 93 प्रतिशत अनभिज्ञ रही हैं। इसी प्रकार कार्यस्थल पर महिला श्रमिक यौन उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम,2013 के बारे में 89 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों को जानकारी नहीं है। केवल 11 प्रतिशत को इस अधिनियम की जानकारी है।

वहीं अध्ययन में शामिल दरभंगा नगर की 98 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों को यह पता नहीं है कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधान वर्ष 2006 से घरेलू सेवा क्षेत्र पर भी लागू होते हैं। इसी प्रकार वर्ष 1951 से ही बिहार में घरेलू श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कानून, 1951 के दायरे में लाया गया है, परंतु 93.75 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिक इस बारे में अनभिज्ञ हैं। केवल 6. 25 प्रतिशत घरेलू महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कानून की जानकारी है।

जागरूकता का शिक्षा के साथ सीधा संबंध होता है। शिक्षा के विकास और विस्तार के साथ ही समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ता जाता है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त परिचर्चा और विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है की अधिकांश घरेलू महिला श्रमिक अनपढ़ या अल्पशिक्षित हैं। इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू महिला श्रमिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कोई जानकारी नहीं है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून ले गए हैं जैसे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2008, बाल श्रम अधिनियम 1986 बिहार न्यूनतम मजदूरी कानून 1951 आदि। परंतु शिक्षा अथवा अल्प शिक्षा के कारण इनमें इन कानून के प्रति जागरूकता का अभाव है।

इसी प्रकार कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के बारे में बहुसंख्यक घरेलू महिला श्रमिक को जानकारी नहीं है। जो थोड़े से घरेलू महिला श्रमिक इस कानून के बारे में जानकारी रखती हैं ,वह लोक लाज के भय से इस कानून का लाभ नहीं ले पाती हैं।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों के कल्याण तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपबंध किए गए हैं। यह कानून निश्चित रूप से घरेलू महिला श्रमिकों के लिए लाभकारी है परंतु इस कानून के प्रावधानों के अनुपालन में कई राज्यों ने शिथिलता बरती है। उदाहरण के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत

राज्य सरकारों द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना एवं पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए था। किंतु बिहार जैसे कई राज्यों ने इस मामले में शिथिलता बरती है। बिहार राज्य में घरेलू महिला श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही 2018 में शुरू हो पाया था ( विगो 2021)।

दूसरा एक प्रमुख दोष इस कानून का यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इससे इस कानून के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। इस कानून के अधीन केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। परंतु बोर्ड की भूमिका केवल सलाह और पर्यवेक्षक तक ही सीमित कर दी गई है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए सभी श्रम कानून घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं । प्रथम, घरेलू श्रमिक के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है । दूसरे, घरेलू महिला श्रमिकों की संख्या के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने देश में इनकी संख्या अलग अलग बताई है । तीसरी, घरेलू सेवा क्षेत्र को कार्य स्थल के रूप में वैधानिक दर्जा हासिल नहीं है । इस कारण केंद्र अथवा राज्य सरकारों के श्रम कानूनों के कई उपबंध घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं।

केंद्र सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय ने वर्ष 2014 में घरेलू श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल के सुझाव पर एक राष्ट्रीय विधेयक का मसौदा वर्ष 2017 में तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने की बात कही गई थी परंतु दुर्भाग्यवशदरभंगा यह विधेयक संसद से पारित होकर अब तक कानूनी रूप नहीं ले पाया है।

सुझाव :

घरेलू महिला श्रमिकों की जीवनदशा और कार्यदशा में सुधार के लिए वैधानिक स्तर पर निम्नलिखित प्रयास करने की आवश्यकता है :

एक स्वायत्त बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें सरकार, नियोक्ता और घरेलू महिला श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व हो। बोर्ड को घरेलू महिला श्रमिक और नियोक्ता के बीच होने वाले विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान की जाए। विवादों का समाधान नहीं हो पाने की दशा में बोर्ड को घरेलू महिला श्रमिकों को न्यायालय जाने और कानूनी सहायता पाने में मदद करनी चाहिए।

घरेलू महिला श्रमिकों के काम के घण्टे और न्यूनतम वेतन का निर्धारण और पर्यवेक्षण का दायित्व बोर्ड को दिया जाना चाहिए।

घरेलू महिला श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। पंजीकरण का जिम्मा बोर्ड को दिया जाना चाहिए। नियोक्ता द्वारा घरों में गैरपंजीकृत घरेलू महिला श्रमिकों रखे जाने की दशा में बोर्ड को जुर्माना लगाए जाए का अधिकार दिया जाए।

वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति घरेलू महिला श्रमिकों में जागरूकता लाने में सरकार और गैर सरकारी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः कानूनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर मुहिम चलाई जाए।

घरेलू महिला श्रमिकों के कार्य करने की जगह को सरकार द्वारा वैधानिक रूप से कार्यस्थल का दर्जा दिया जाए। तभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विद्यमान श्रम कानून घरेलू महिला श्रमिकों पर लागू हो सकते हैं।

घरेलू महिला श्रमिकों के कार्य की प्रकृति को देखते हुए एक विशिष्ट केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घरेलू महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने एक राष्ट्रीय विधेयक का मसौदा प्रस्तावित किया था। इस विधेयक को यथाशीघ्र संसद द्वारा अनुमोदित कर कानूनी स्वरूप देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ :

कुमार, एस.(2023).घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

दुष्यंत (2022, सितंबर 8). व्हाय डू वी ट्रीट आवर डॉमेस्टिक वर्कर सो क्रूअली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रांची एडिशन।

विगो ( 2021). ए रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स एंड देयर सोशल पार्टिसिपेशन इन बिहार स्टेट।

देवी,दुर्गा एस. (2020). प्लाइट ऑफ वीमेन डॉमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज ,3(6), 456–499

एन.नीता (2019). वर्किंग एट अदर होम्स : द स्पेसिफिक एंड चौलेंज ऑफ पेड डॉमेस्टिक वर्कर्स, तूलिका बुक्स, चेन्नई।

महंत, उपासना और गुप्ता, इंद्रनाथ (2019). रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया : चौलेंज एंड द वे फॉरवार्ड, स्प्रिंगर, सिंगापुर।

तिवारी, मीनाक्षी (2018). द साइलेंस दैट सराउंड द एब्यूज एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, द वायर, नई दिल्ली।

लाहिड़ी, तृप्ति (2017). मेड इन इंडिया : स्टोरी ऑफ इनिक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी इनसाइड आवर होम्स, अल्फा बुक कम्पनी,नई दिल्ली।

अगस्टाइन, रुबीना और सिंह,रूपेश कुमार (2016). कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलडीए कॉलोनी इन लखनऊ सिटी , इंडिया. जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क 4(2),110—117.

रामादेवी के. (2015). वूमेन डॉमेस्टिक वर्कर्स एंड देयर फैमिली लाइफ : ए केस स्टडी ऑफ गुलबर्गा सिटी, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुर्गी।

शंकरण,कमला (2013). डोमेस्टिक वर्क: अनपेड वर्क एंड वेज रेट्स, इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, 48(43),85—90.

मेहता,आर.(2012). वूमेन वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर झारखंड जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 4(1—2),22—31.

यादव, प्रकाश और रवि कुमार चंद्रदीप (2012). वूमेन वर्कर्स इन इंडिया, न्यू सेंचुरी पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

मल्होत्रा, एस. टंडन (2010). ए रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स : कंडीशंस, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ए स्टडी ऑफ पार्ट टाइम डॉमेस्टिक वर्कर्स इन दिल्ली. जागोरी, बी 114.

जागोरी (2010). ए रिपोर्ट ऑन डॉमेस्टिक वर्कर्स : कंडीशंस, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, नई दिल्ली।

मोगे, किरण (2007), अंडरस्टैंडिंग द अनोर्गनाइज्ड सेक्टर, इन्फो चेंज न्यूज एंड फीचर, सितंबर 2007.